राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 16/2018
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2018/00090
दायर दिनांक– 06.06.2018
निर्णय दिनांक– 20.10..2023

1. माधू पुत्र उदा जाति जाट निवासी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र किशनलाल
2. राधेश्याम पुत्र किशनलाल
3. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल
   सर्वजाति महाजन, सर्वनिवासीगण हाल कटलाबाजार मदनगंज किशनगढ़
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम पनेर, पटवार हल्का पनेर, भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 254 के ख0न0 53 रकबा 03 बीघा 00 बिस्वा भूमि अवस्थित है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी में किसी प्रकार का हक व हिस्सा या दखल नही है। प्रार्थी की वाद वर्णित कृषि आराजी की अन्य खसरा नम्बरान से लगती हुई पडौसी खातेदारान की भूमि के मध्य भविष्य में नींव, सींव को लेकर विवाद न हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी आराजी में भूमि की बुवाई जुताई, गुड़ाई करने तथा नींव, सींव को लेकर आपत्ति एवं वाधा रूकावट ना हो इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादवर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से होकर अदम तामिल प्राप्त हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) पेश किया जिस पर अधिवक्ता को सुना गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम हटाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाव को ही वहस माने जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:23:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी 20.10.23
रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खाता संख्या 254 के ख0न0 53 रकबा 03 बीघा 00 बिस्वा भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है।

इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

20.10.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:23:25 IST
Reason: SelfAttested